घोषणा किये बिना ही प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने सम्बन्धी का साक्षात्कार लिया था और सम्बन्धी चुना गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 hrs.

RE: ADJOURNMENT MOTIONS ETC.

SOME HON. MEMBERS *rose.*
(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Niren Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): What about my adjournment motion about the firing in Bihar in which two persons were killed? Even after 33 years of Congress rule Hindu chauvinism is rearing its ugly head...

MR. SPEAKER: No, Sir.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, already the Central Government has decided to deploy the military troops as well as Central Reserve Police in Assam because of the mass satyagraha in Assam. This is a very serious matter which will escalate the problem.

Therefore, I have given an adjournment motion and I would like to know whether you are admitting it or not.

MR. SPEAKER: No; not allowed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I have seen you in your Chamber in connection with my Privilege Motion.

MR. SPEAKER: It is under my consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want half a minute to make my submission.

MR. SPEAKER: Let me first find out.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Sir, when Parliament is in session, we expected to be informed—I learn for example vital and important matters through newspapers repeatedly—about the build-up of arms in Pakistan. I have given an adjournment motion on this. But, you have rejected it.

MR. SPEAKER: No, no.

श्री राजेश कुमार सिंह (फ़िरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की स्थिति बहुत भयानक हो गई है । पुलिस आन्दोलन कर रही है । आज बिहार में शान्ति और व्यवस्था नहीं है । मैंने इस बारे में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, मैं भी उसके बारे में कहना चाहता हूं । बिहार में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है । वहां पर नागरिकों का जीवन ख़तरे में है । बिहार के सब अखबार इन बातों से रंगे हुए हैं । आपने इस बारे में रूल 377 के अन्तर्गत वक्तव्य स्वीकार किया है ..

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में रूल 377 के मातहत स्टेटमेंट एलाऊ कर दिया गया है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं कई बार रिपोर्ट कर चुका हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हड़ताल पर हैं और अब कर्मचारी भी उसमें शामिल हो गये हैं । आप इस बारे में स्थगन प्रस्ताव को एलाऊ नहीं कर रहे हैं । आप कालिंग एटेन्शन नोटिस भी एलाऊ नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मना नहीं किया है कि कालिंग एटेन्शन नोटिस नहीं लेना है ? अगर मैं आपकी राय मानता हूं, तब भी आप एतराज़ करते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि बिहार

(श्री रामावतार शास्त्री)

की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर उर्दू-विरोधी जो आन्दोलन चल रहा है, उससे साम्प्रदायिक झगड़े होने का खतरा बढ़ गया है। इस विषय पर सदन में विचार होना चाहिए। वहां पर लोग मरे हैं। रांची और दरभंगा में कर्फ्यू लगा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात कह दी गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के वकील हड़ताल कर रहे हैं। यह हड़ताल अब तक तीस हजारी कोर्ट में थी, कल हाई कोर्ट में हड़ताल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह ला एण्ड आर्डर का मामला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में विधान सभा नहीं है। दिल्ली का मामला केन्द्र के अधीन है। इस बारे में रूल 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देने से काम नहीं बनेगा। आप गृह मंत्री को कहिये। अगर पुलिस वकीलों को पीटेगी, तो मामला सदन में उठाना पड़ेगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : बिहार में पुलिस हड़ताल पर है और उर्दू-विरोधी आन्दोलन के कारण वहां पर कोई कानून-व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसको देख लेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : पत्रों में लिखा है कि भागलपुर में पुलिस आन्दोलन को सरकारी समर्थन प्राप्त है। पुलिस के लोग ये नारे लगा रहे हैं "जो हमसे टकरायेगा, चूर-चूर हो जायेगा"। मैंने उसके सम्बन्ध में नोटिस दिया है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): हर जगह छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज हो रहा है। लखनऊ में उन पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया गया है। अमृतसर और इलाहाबाद में भी छात्रों को पीटा जा रहा है। कहीं भी छात्रों का जीवन सुरक्षित नहीं है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Yesterday, at Silchar Airport, our leader, Shri Samar Mukherjee, a Member of Parliament of this House, was insulted and humiliated by the security staff and staff of the I.A.C. This is a very serious matter.

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

If it is something pertaining to a Member of Parliament, I shall have to see to it.

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। नियम 60 में यह कहा गया है कि यदि माननीय अध्यक्ष का समाधान न हो, तो वह मंत्री महोदय और माननीय सदस्य को संक्षिप्त भाषण करने की इजाजत दे सकते है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार की सरकार दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक पुलिस आन्दोलन करवाती है और एक पुलिस को संस्पेंड करती है यह देख लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री धनिक लाल मण्डल : मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई ... (व्यवधान) बिहार सरकार दो हिस्सों में विभाजित हो गई है, राज्य का क्या होगा भगवान मालिक है और आप मालिक है ..

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

श्री धनिक लाल मंडल : हमारी बात सुन लीजिए । बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं । पुलिस वालों की ओर से मांग हो रही है कि सदानन्द सिन्हा को हटाया जाये ....

MR. SPEAKER: Not allowed. Don't record. (*Interruptions*)**

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, नियम 56 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई सरकार विद्रोह के रास्ते पर जाय तो केन्द्र उस मामले के ऊपर चुप बैठा रहेगा ? सदन के अन्दर उस पर बहस हो ...

अध्यक्ष महोदय : यह देखेंगे, अभी तो यह प्रश्नवाचक चिह्न है ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह खबर देख लीजिए ...(व्यवधान) ... अगर आप हम को सिर्फ इसलिए खड़ा करते हों कि अपनी शक्ल दिखा कर बैठ जायें तो खड़े होने से कोई फायदा नहीं है । ... (व्यवधान) ... देश जले, बिहार की सरकार देश को जलाए और लोक सभा चुप रहे, यह नहीं हो सकता । यह आन्दोलन बहुत तेजी से चल रहा है ...

श्री धनिक लाल मंडल : सरकार दो हिस्सों में बंटी है, एक आन्दोलन करवा रही है ...

श्री मनीराम बागड़ी : आप घर मंत्री से इस पर वक्तव्य देने के लिए कहिए । ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप की बात सुन ली । You have made your point. Nothing to be recorded.

(*Interruptions*)**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव जी को लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह ने इस बात के लिए चार्जशीट किया है कि वह प्रधान मंत्री से मिले । यह लोकतांत्रिक परम्परा के खिलाफ है ।

MR. SPEAKER: It is a party matter. How am I to decide it?

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : सदन में आधे घंटे की चर्चा इस विषय पर हो कि क्या कोई माननीय सदस्य प्रधान मंत्री से मिल सकते है या नहीं ? ..(व्यवधान)...

MR. SPEAKER: Now Papers to be laid.

12.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER MERCHANT SHIPPING ACT, 1958 AND A STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:—

(i) The Shipping Development Fund Committee (Accountants) Recruitment (Amendment) Rules, 1980, published in Notification No. G.S.R. 648 in Gazette of India dated the 14th June, 1980.

(iii) The Shipping Development Fund Committee (Staff Car Drivers Group 'D' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1980, published in Notification No. G.S.R. 649 in Gazette

**Not recorded.